



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-16092025-266181
CG-UP-E-16092025-266181

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4049]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 15, 2025/भाद्र 24, 1947

No. 4049]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 15, 2025/BHADRA 24, 1947

रेल मंत्रालय

[उत्तर मध्य रेलवे (निर्माण विभाग)]

अधिसूचना

प्रयागराज, 8 सितम्बर 2025

का.आ. 4164(अ).—केन्द्रीय सरकार, ने रेल अधिनियम 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात्, उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'ए' के खण्ड-(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, उत्तरप्रदेश राज्य के मिर्जापुर जिले में “चुनार -चोपन दोहरीकरण परियोजना हेतु” विशेष रेल परियोजना के अन्तर्गत लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 20-घ की उप-धारा (1) के अधीन उपरोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, मिर्जापुर (सिंचाई), जिला- मिर्जापुर, (उप्र.) को लिखित में किया जाया जायेगा और उसके आधार उपवर्णित किये जायेगे और सक्षम अधिकारी आक्षेपकर्ता को या तो व्याक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा तथा आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जाँच, यदि कोई हो करने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20-घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का नक्शा एवं अन्य ब्यौरा उपलब्ध है। इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, मिर्जापुर (सिंचाई), जिला- मिर्जापुर, (उप्र.) कार्यालय में उनका निरीक्षण कर सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य मे चुनार-चोपन दोहरीकरण रेल परियोजना के लिए मिर्जापुर जिले मे आने वाली अवसंरचना सहित या रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण				
क्र. सं.	ग्राम का नाम	तहसील का नाम	खसरा सं./ गाटा सं.	अर्जित क्षेत्रफल (हे० मे)
1	जमुहार	चुनार	40	0.0730
			42	0.3672
			38	0.0720
			37	0.1920
			35	0.1850
			36	0.2700
			33	0.4920
			32	0.6630
			31	0.2060
			30	0.0650
			29	0.0595
			28	0.0090
			योग	2.6537
2	गोबरदहा	चुनार	289	0.1224
			261	0.0040
			260	0.0440
			331	0.0230
			335	0.0053
			337	0.0550
			344	0.0190
			347	0.0068
			349	0.0150
			198	0.1130
			193	0.1360
			186	0.1190
			योग	0.6625
3	हिनौता	मडिहान	88	0.0790
			87	0.0040
			20	0.1050
			13	0.1290
			14	0.0840
			15	0.0300
			योग	0.4310
			महायोग	3.7472

[फा. सं. 1-G/CAR-CPU/Land Acquisition/01]

विपिन कुमार, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS
[North Central Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Secunderabad, the 8th September, 2025

S.O. 4164(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) Railway (amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule annexed hereto is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely **Chunar Chopan Doubling Project** in District **Mirzapur** in the State of Uttar Pradesh hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority namely, **Special Land Acquisition Officer (Irrigation), Mirzapur District-Mirzapur, Uttar Pradesh** in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 20-D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquire, with or without structure, for the special Railway Project, namely, Chunar To Chopan Doubling Railway Project in Mirzapur district in the State of Uttar Pradesh.				
S.N.	VILLAGENAME	TEHSIL	Plot Number	Area of aquire land (in hact.)
1	JAMUHAR	CHUNAR	40	0.0730
			42	0.3672
			38	0.0720
			37	0.1920
			35	0.1850
			36	0.2700
			33	0.4920
			32	0.6630
			31	0.2060
			30	0.0650
			29	0.0595
			28	0.0090
			Total	2.6537
2	GOBARDAHA	CHUNAR	289	0.1224
			261	0.0040
			260	0.0440
			331	0.0230
			335	0.0053
			337	0.0550
			344	0.0190
			347	0.0068
			349	0.0150
			198	0.1130

			193	0.1360
			186	0.1190
			Total	0.6625

[F. No. 1-G/CAR-CPU/Land Acquisition/01]

VIPIN KUMAR, Chief Administrative Officer (Construction)